UPME010082522026

<u>न्यायालय विशेष न्यायाधीश, एस.सी/एस.टी एक्ट मेरठ।</u>

उपस्थितः– अमित वीर सिंह (H.J.S.)

जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

जमानत प्रार्थना पत्र संख्या– 2757 सन् 2026

1. ठाकुर सिंह पुत्र रामदास
2. डेविड कुमरा पुत्र रामदास
3. दीपांशु पुत्र दीपक
4. भूपेन्द्र पुत्र दीपक

निवासीगण ग्राम बमनपुरा अतराड़ा, थाना खरखौदा, जिला मेरठ।

... ...प्रार्थी/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र० सरकार

... ...अभियोजन।

मु०अ०सं० 282/2025
धारा–191(2), 191(3), 190, 352, 135,
351(3), 110 भा.दं.सं.
व 3(2)5 क अनुसूचित जाति, जनजाति
निवारण अधिनियम 1989
थाना–खरखौदा, जिला मेरठ।

<u>दिनांक 04.06.2026</u>

1. अभियुक्तगण **1. ठाकुर सिंह पुत्र रामदास, 2. डेविड कुमरा पुत्र रामदास, 3. दीपांशु पुत्र दीपक व 4. भूपेन्द्र पुत्र दीपक** ने न्यायालय में उपस्थित होकर आत्मसमर्पण किया। आरोप पत्र के अनुसार अभियुक्तगण उपरोक्त मु०अ०सं० 282/2025, धारा– 191(2), 191(3), 190, 352, 135, 351(3), 110 भा.दं.सं. व 3(2)5 क, अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में वांछित अभियुक्तगण है। अतः अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिया जाए। अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक के अनुसार वादी मुकदमा सोनू ने थाना खरखौदा पर दिनांक 21.11.2025 को समय 23.36 बजे इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की कि– प्रार्थी ग्राम बवनपुर

थाना खरखौदा जिला मेरठ का निवासी है। प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार अमन पसन्द व कानून को मानने वाला है। प्रार्थी अनुसूचित जाति से सम्बन्ध रखता है। दिनांक 21/11/2025 को प्रार्थी के परिवार में कुआ पूजन था और प्रार्थी व प्रार्थी के परिवार के लोग डी0 जे बजाकर जश्न मना रहे थे। कि तभी समय करीब 5.30 बजे शाम को दीपक पुत्र रामदास, ठाकूर पुत्र रामदास, डेविड पुत्र रामदास, ललित पुत्र रामदास, भुपेन्द्र पुत्र दीपक, निवासी ग्राम बवनपुरा थाना खरखौदा जिला मेरठ अपने अपने हाथो में लाठी डन्डे व दीपांशु पुत्र दीपक के हाथो में लोहे की रोड मुकुल पुत्र ठाकुर, रामदास पुत्र भरतू निवासी ग्राम बवनपुरा थाना खरखौदा जिला मेरठ के हाथ में लाठी डन्डा था। उपरोक्त सभी लोग एक साथ होकर आये और कहने लगे कि सालो चमार चम्मटो ये डी.जे. बन्द करो। इस बात का आकाश पुत्र कमल सिंह, ललित पुत्र कर्ण सिंह व तिलक राम पुत्र कर्ण सिंह ने विरोध किया तो उपरोक्त सभी विपक्षीगण ने अपने अपने हाथो में लोहे की रोड व डन्डो व ईटो से इन लोगो पर जान से मारने की नीयत से हमला कर दिया और हमारे धार्मिक कार्य करने से रोका। आकाश, ललित व तिलक राम पर हमला होता देख मन्नू पुत्र लोकेश, प्रशान्त पुत्र राजेन्द्रष घनश्याम पुत्र रमेश चन्द कान्ता पत्नी लोकेश व विमल पत्नी कमल सिंह बचाने आये तो विपक्षीगण ने इन लोगो पर भी हमला कर दिया जिसमें प्रार्थी के परिवार वालो को गम्भीर चोटो आयी है। शोर मचाने पर महोल्ले के कुछ लोग भी आ गये जिन्हे आता देखकर विपक्षीगण जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गये। विपक्षीगण बदमाश व मुठमर्द किस्म के लोग है। प्रार्थी व प्रार्थी का परिवार काफी डरा हुआ है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है। कि प्रार्थी की रिपोर्ट दर्ज कर विपक्षीगण के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

3. अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा कथन किया गया कि – प्रार्थीगण / अभियुक्तगण का कथित घटना से कोई भी लेना देना नही है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण गॉव की राजनिति के कारण रंजीशन झूठा फसाया है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण में विवेचना के दौरान विवेचना में पूर्ण सहयोग दिया था इसी कारण विवेचनाधिकारी में प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को धारा 35 (3) बी०एन०एस०एस० के नोटिस पर छोडा हुआ था। यह कि प्रार्थीगण / अभियुक्तगण पर लगाये गये अभियोग में 07 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। उपरोक्त अभियोग से सम्बन्धित सह अभियुक्त रामदास दीपक व ललित की जमानत मा० न्यायालय के द्वारा दिनांक 26.05.2026 को अंकन 25000/– रुपये की प्रतिभूति पर स्वीकार हो गयी है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण के ऊपर लगाये गये अभियोग मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद के द्वारा बच्ची देवी बनाम उ०प्र० राज्य में जमानत के सम्बन्ध में विस्तार से दिशा निर्देश पारित कर रखे है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण पर भी लागू होते है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण के जमानत रिहा होने के उपरान्त जमानत का दुप्रयोग करने की भी संभावना नही है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगणो के जमानत पर छुटने के उपरान्त मा० न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भी भागे जाने का भी कोई अन्देशा नही है। प्रार्थीगण/अभियुक्तगणो के जमानत पर

छुटने के उपरान्त अभियोजन पक्ष के किसी भी साक्ष्य के साथ छेडछाड, डराने–धमकाने का भी कोई अन्देशा नही है। प्रार्थीगण / अभियुक्तगण मा० न्यायालय के आदेश की परिपालना में उचित प्रतिभूति देने को भी तैयार है। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण / अभियुक्तगण को विचारण के निस्तारण तक जमानत पर रिहा किय जाने के आदेश पारित किया जाना न्यायहित में अति आवश्यक है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उपरोक्त वाद में उपरोक्त कारण के आधार पर प्रार्थीगण / अभियुक्तगणो को विचारण के निस्तारण तक जमानत पर रिहा किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करे।

4. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एवं वादी के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा बताया गया कि गम्भीर आघात पहुँचाया गया है। अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट की गयी तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किया।

5. सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6. प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्तगण द्वारा वादी मुकदमा के साथ गाली गलौच करते हुए मारपीट करने तथा जातिसूचक शब्दो का प्रयोग किये जाने का कथन किया है। अभियुक्तगण अंतरिम जमानत पर था और किसी भी अंतरिम जमानत का दुरूपयोग नहीं किया गया है। अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989 की धाराएं व अन्य सभी धाराएं सात वर्ष तक दंडनीय है। मामले में आरोप पत्र प्रेषित किया जा चुका है तथा किसी शेष साक्ष्य का संकलन नहीं होना है। **सतेन्द्र कुमार अन्टिल सी०बी०आई० 2021(226) ए०आई०सी० 259 (एस०सी०)** में प्रतिपादित सिद्धांत तथा मामले के तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पूर्ण दोष पर अभिमत व्यक्त किये बिना जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का आधार पर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्तगण **1. ठाकुर सिंह पुत्र रामदास, 2. डेविड कुमरा पुत्र रामदास, 3. दीपांशु पुत्र दीपक व 4. भूपेन्द्र पुत्र दीपक**का मु०अ०सं० 282/2025, धारा– 191(2), 191(3), 190, 352, 135, 351(3), 110 भा.दं.सं. व 3(2)5क अनुसूचित जाति, जनजाति निवारण अधिनियम 1989, थाना खरखौदा, जिला मेरठ के प्रकरण में प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रत्येक अभियुक्त के द्वारा 25000/– का व्यक्तिगत बंध पत्र एवं समान धनराशि के दो–दो प्रतिभू दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाए। अभियुक्तगण द्वारा पूर्व में दिये गये जामीनान नियमित जमानत प्रार्थना पत्र में भी प्रभावी रहेगे।

दिनाकः–04.06.2026

(अमित वीर सिंह)
विशेष न्यायाधीश, एस०सी०/एस०टी० एक्ट मेरठ।
जे०ओ० कोड यू०पी० 6240

This is uncertified copy for information/reference.
For authentic copy Please refer to certified copy only.

Digitally signed by AMIT VEER SINGH
Date: 2026.06.04 17:28:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court